छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 7-121/सात-1/2012 नया रायपुर, दिनांक 24 मई, 2013

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः- प्रदेश में शहरीकरण में आ रही समस्याओं का आंकलन तथा आवश्यक सुधार हेतु नीति निर्धारण ।

*****

मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 22.10.2012 को प्रदेश में शहरीकरण में आ रही समस्याओं का आंकलन तथा आवश्यक सुधार हेतु नीति निर्धारण के संबंध में निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :-

1. **एकीकृत उपनगर योजना के बीच में आने वाली शासकीय भूमि का निराकरणः-** यह संभव है कि एकीकृत नगर योजना के बीच में शासकीय अथवा निजी भूमि का कुछ भाग भी आ रहा हो । ऐसी समस्या का निराकरण के लिए निर्णय लिया गया है कि एकीकृत नगर योजना के कुल भूमि के 05 प्रतिशत रकबे से कम शासकीय भूमि यदि उस योजना के अंतर्गत आ रही है, तो वह भूमि बिल्डर को प्रचलित विधि/नियमों के तहत् इस शर्त पर आबंटित की जाए कि वह उसे दी गई शासकीय भूमि का 35 प्रतिशत विकसित रकबा शासन को लौटायेगा । ऐसी परिस्थिति में राजस्व विभाग प्राप्त भूमि को आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा सुझाये गये संस्था को प्रचलित नियमों/विधि के तहत् बंटित करेगा तथा बाद में 35 प्रतिशत विकसित भूमि का आधिपत्य भी उन्हीं संस्थाओं द्वारा लिया जायेगा ।
2. **प्रचलित मार्गो का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरणः-** विकास योजना में अथवा राजस्व अभिलेखों में वर्तमान में जो प्रचलित सड़कें हैं, उनके सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण हेतु भी राजस्व विभाग की भूमि की आवश्यकता होती है, ऐसी दशा में भी प्रचलित विधि एवं नियमों के तहत् भूमि बंटित की जाये ।

क्रमशः- 2 पर

3. **ऐसे प्रचलित मार्ग जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हैः-** कई ऐसे प्रचलित मार्ग हैं, जो निजी भूमि पर बने हुये हैं, कतिपय व्यक्तियों द्वारा अपनी भूमि पर इस तरह के मार्ग निर्मित कर अवैध प्लाटिंग कर जमीनें बेची गई हैं । राजस्व अभिलेखों में ऐसे मार्ग दर्ज न होने से इन मार्गो पर अवस्थित अन्य भूमिस्वामी भूमि-धारकों को भी मार्ग की अनुपलब्धता के कारण, विकास की अनुमति प्रदान करने में कठिनाई हो रही है। अतः निजी भूमि पर बने ऐसे मार्गो को वाजिबुल-अर्ज में दर्ज किया जाकर नक्सों में भी अंकित किया जाये ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.निहालानी)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 7-121/सात-1/2012 नया रायपुर, दिनांक २५ मई, 2013

प्रतिलिपिः-

1. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़, रायपुर
2. माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
3. निज सहायक, माननीय मंत्रीगण/संसदीय सचिव (समस्त), रायपुर
4. मुख्य सचिव के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
5. अध्यक्ष, राजस्व मंडल बिलासपुर, छ.ग.
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
7. आयुक्त,भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ रायपुर
8. समस्त संभागीय आयुक्त, छ.ग.
9. संचालक, जनसम्पर्क विभाग, रायपुर
10. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., मंत्रालय की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि विभाग की बेवसाईट http://cg.nic.in/revenue पर अपलोड करने का कष्ट करें ।

24/5/13
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग